D-394.

प्र.पी.-316

अप.क्र. 9/15

साक्षी. गिरीश शर्मा S/o आर.पी.शर्मा P.S. E.O.W Rwipur
उम्र 51 वर्ष P.A. to MD (Susp) धारा - 120(B), 109 IPC
R/o D.D. नगर रायपुर

13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) PC एक्ट 1988

समय—4:55 बजे

1— मै वर्ष 2002 से छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के स्टेनो के पद पर पदस्थ हूँ । मै निलंबन से पूर्व प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा, रायपुर के स्टेनो के पद पर पदस्थ था ।

2— सामान्यतः पी.ए. का कार्य अपने अधिकारी के शासकीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत कार्यों को उनके आदेशानुसार किया जाना होता है। इसी प्रकार मेरे द्वारा भी समय—समय पर अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार उनके व्यक्तिगत कार्य जैसे टिकट बुकिंग, बिलों का भुगतान तथा होटल आदि बुक करने का कार्य किया जाता था ।

3— अनिल टुटेजा, प्रबंध संचालक का पी.ए./स्टेनो होने के कारण मेरे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध थे ।

4— दिनांक 12/02/2015 को एन्टी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) की टीम द्वारा मेरे कार्यालय में छापा मारा गया जहाँ उनके द्वारा मेरे बैग से 20,00,000/— रूपए जप्त किये गये ।

5— उक्त 20,00,000/— रूपए मेरे पास किस प्रकार आए इसका मै विवरण देना चाहता हूँ । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मिलर से चावल को लिया जाता है । प्रत्येक जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा जब मिलर्स से चावल लिया जाता है तब चावल में टूटन, वजन कम होना, बोरों में सही स्टेनसिल नहीं होने के आधार पर चावल को लेने से इंकार करने की धमकी देकर अवैध वसूली की जाती है । मिलर को बड़ी मात्रा में चावल वापस हो जाने पर लाने—ले जाने का व्यय, हमाली का व्यय तथा अन्य हानि होने के कारण वह जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर की अवैध मॉग को पूरा करते हैं ।

6— नागरिक आपूर्ति निगम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य शिवशंकर भट्ट द्वारा किया जाता है । शिवशंकर भट्ट विभाग के मुख्यालय

में प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं तथा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है । इनके द्वारा नवीन एम.डी. अनिल टुटेजा के कार्यभार ग्रहण करने पर उनसे मिलकर अवैध वसूली में उनसे सहमति प्राप्त की गयी ।

7— शिवशंकर भट्ट द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों से चावल के उपार्जन में जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर से पैसों की वसूली की जाती है । प्रत्येक क्विंटल 4 रुपए के हिसाब से उपार्जित किए जाने वाले चावल की राशि प्रत्येक जिला प्रबंधक द्वारा मुख्यालय में शिवशंकर भट्ट को भेजी जाती है तथा प्रत्येक जिला प्रबंधक द्वारा कुछ राशि स्वयं एवं जिला के कर्मचारियों हेतु वसूल की जाती है ।

8— इस प्रकार धान, दाल एवं अन्य अनाजों के परिवहनकर्ताओं से भी शिवशंकर भट्ट द्वारा अवैध वसूली की जाती है । शिवशंकर भट्ट जो राशि प्राप्त करता है उसमें से 1 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रबंधक अनिल टुटेजा को, 1 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पूर्व चेयरमेन/प्रमुख सचिव खाद्य, डॉ. आलोक शुक्ला को, शेष राशि में से कुछ राशि मुख्यालय के सारे स्टाफ को वितरित की जाती थी तथा कुछ राशि अनिल टुटेजा एवं डॉ. आलोक शुक्ला को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सुरक्षित रखी जाती थी ।

9— मैंने अनिल टुटेजा के कहने पर उनके निर्देशानुसार छ.ग. क्लब के पास स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास राजूजी नामक व्यक्ति को 40,00,000/— रुपए दिए है । एक बार उन्हीं के कहने पर राजूजी से 14,00,000/— रुपए लेकर डॉ. आलोक शुक्ला के बताए अनुसार डॉ. आनंद दुबे, विद्या क्लिनिक देवेन्द्र नगर में जाकर दिए । एक बार अनिल टुटेजा के कहने पर 20,00,000/— सौरभजी को दिए । इसी प्रकार कई बार मैंने अनिल टुटेजा के कहने पर उनके पुत्र यश टुटेजा को कभी 10,00,000/—, कभी 20,00,000/—, कभी 15,00,000/— रुपए जिस प्रकार भी शिवशंकर भट्ट मुझे देते थे उस प्रकार यश के बताए पते पर दिए जाते थे जो अधिकांशतः मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर या उनके घर पर जाकर दिये जाते थे ।

10— उक्त राशि शिवशंकर भट्ट द्वारा प्रत्येक जिले के प्रबंधक से अवैध वसूली द्वारा संग्रहित की जाती थी और प्रबंध संचालक से चर्चा उपरांत जो राशि उन्हें प्राप्त होती थी उनके निर्देशानुसार मेरे द्वारा दी जाती थी ।

11— शिवशंकर भट्ट द्वारा प्राप्त राशि से ही मेरे द्वारा एक बार श्री अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार 5,00,000/— तथा दूसरी बार 4,50,000/— रुपए व्यास ट्रेवल्स को दिये गये थे जिसकी रसीद ए.सी.बी. ने मुझसे मेरे कार्यालय में जप्त की । इसी प्रकार एक बार अनिल टुटेजा का रायपुर—दिल्ली—अमृतसर तथा अमृतसर—दिल्ली—रायपुर का हवाई यात्रा व्यय लगभग 75,000/— रुपए व्यास ट्रेवल्स को दिए थे जिसमें यश टुटेजा का 6,00,000/— रुपए का होटल बिल भी सम्मिलित है ।

12— इसी प्रकार शिवशंकर भट्ट से प्राप्त राशि में डॉ. आलोक शुक्ला को भी उनका हिस्सा प्रबंध संचालक, अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार दिया गया था ।

13— मैने कभी-कभी एक-दो लाख रूपए डॉ. आलोक शुक्ला के हाथ में घर पर जाकर दिए तथा अधिकांशतः उनके बताए अनुसार डॉ. आनंद दुबे के विघा हॉस्पिटल में जाकर डॉ. आनंद दुबे को दिए ।

14— इसी प्रकार डॉ. आलोक शुक्ला के कई देयकों का भुगतान मेरे द्वारा किया जाता था । एक बार डॉ. आलोक शुक्ला को विदेश जाना था उन्होंने 2 लाख रूपए के यूरो की व्यवस्था हेतु अनिल टुटेजा को कहा तब अनिल टुटेजा द्वारा मुझे व्यवस्था करने के लिए कहने पर मै अजय ट्रेवल्स गया । अजय ट्रेवल्स वाले ने मुझसे पासपोर्ट एवं वीजा माँगा तब मैने उक्त जानकारी डॉ. आलोक शुक्ला को दी । डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा कि मुझे यूरो दिल्ली में चाहिए । उक्त बात मेरे द्वारा अजय ट्रेवल्स को बताने पर अजय ट्रेवल्स ने दिल्ली में व्यवस्था करना बताया तब मैने 2,00,000/— रूपए अजय ट्रेवल्स को जमा किए ।

15— मै उपरोक्त समस्त लेनदेन का हिसाब पृथकतः मेरी पेन ड्राइव में रखता था क्योंकि अनिल टुटेजा या आलोक शुक्ला कभी भी मुझसे लेनदेन का हिसाब माँग लेते थे ।

16— इसी प्रकार मेरे द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देश पर सोहन सेल्स का पर्दे एवं गद्दों का बिल लगभग 50—60 हजार रूपए अदा किया गया था । आलोक शुक्ला द्वारा भेजे गए संतोष तिवारी नाम के व्यक्ति को साहब के घर लगे एल.ई.डी. टी.व्ही. के 60,000/— रूपए, मेदांता अस्पताल, दिल्ली का 20,000/— रूपए का बिल स्वयं मेरे द्वारा दिल्ली अस्पताल में जमा किए गए ।

17— समस्त जिलों के प्रबंधकों से प्राप्त अवैध वसूली की राशि शिवशंकर भट्ट के पास होती थी और समय-सयम पर शिवशंकर भट्ट, अनिल टुटेजा के निर्देश पर स्वयं, बारिक या अरविंद ध्रुव के माध्यम से मेरे पास भेजता था ।

18— दिनांक 10 या 11 फरवरी, 2015 को शाम को डॉ. आलोक शुक्ला का मेरे मोबाईल पर फोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया और उन्होने मुझे कहा कि उन्हें 10,00,000/— रूपए की आवश्यकता है । मैने उन्हें कहा कि अनिल टुटेजा साहब से बात कर बताता हूँ । मेरे द्वारा अनिल टुटेजा साहब से बात की गयी । अनिल टुटेजा ने शिवशंकर भट्ट को 20,00,000/— रूपए देने के लिए कहा । दूसरे दिन पुनः डॉ. आलोक शुक्ला का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि राशि बड़े-बड़े होने चाहिए और राशि मुझे दिल्ली में चाहिए तथा 14 फरवरी सुबह तक जरूरी है।

19— मैंने उन्हें कहा कि दिल्ली में किस प्रकार पहुँचाना है मुझे जानकारी नहीं है, मैं अनिल टुटेजा से बात कर बताऊँगा । मैंने उक्त बात अनिल टुटेजा को बताई तो उन्होंने कहा कि हो जाएँगा । उसी क्रम में दिनांक 12/02/2014 को सुबह शिवशंकर भट्ट द्वारा अरविंद ध्रुव के माध्यम से 20 लाख रूपए मेरे पास भेजे गये जिसकी सूचना मैंने अनिल टुटेजा को दी तब उन्होंने कहा कि मै आ रहा हूँ फिर जाना । वह पैसा मेरे पास कार्यालय में था तभी एसीबी का छापा पड़ गया और मुझसे राशि जप्त हो गयी ।

20— मेरी याददाश्त के अनुसार मैंने डेढ़ करोड़ रूपए डॉ. आलोक शुक्ला की रायपुर पदस्थापना के पश्चात् से उन्हें दिए तथा उनके निर्देश पर डॉ. आनंद दुबे को दिए इसी प्रकार दो—सवॉ दो करोड़ रूपए अनिल टुटेजा को, उनके पुत्र यश टुटेजा तथा उनके बताए व्यक्ति राजू, सौरभ को दिए । एक बार मेरे द्वारा अनिल टुटेजा के बैडमिंटन क्लब यूनियन क्लब में भी 42,000 या 45,000/— रूपए दिए थे । उपरोक्त के अतिरिक्त भिन्न भिन्न समयों पर अनिल टुटेजा के व्यक्तिगत बिलों का भुगतान अनिल टुढेजा के बताए अनुसार मेरे द्वारा शिवशंकर भट्ट से राशि प्राप्त कर किया गया ।

21— मै विदिशा(मध्यप्रदेश) का निवासी हूँ और मेरी दो पुत्रियॉ है और मै रायपुर में ही पदस्थापना चाहता था इसलिए मेरे द्वारा अनिल टुटेजा व डॉ. आलोक शुक्ला के आदेशानुसार उनकी अवैध आदेश का पालन मेरे द्वारा किया गया ।

नोट :— मैंने कथनकर्ता गिरीश शर्मा पिता—आर.पी. शर्मा को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता गिरीश शर्मा से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर—दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढ़कर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है। उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा एवं सही वृत्तांत है ।

वाचित/स्वीकृत

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर .....

True Copy

20.03.15

(उदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर. (छ.ग.)